न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 12/2025

बउनवान

1. चन्द्रमोहन पुत्र गणेशराम शर्मा आयु 62 वर्ष निवासी कृष्णा नगर कोटा रोड बारां जिला बारां
2. भगवतीबाई पत्नि चन्द्रमोहन आयु 60 वर्ष निवासी कृष्णा नगर कोटा रोड बारां जिला बारां राज०

(अपीलांट्स)

बनाम

1. बृजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री चन्द्रमोहन आयु 35 वर्ष निवासी प्लाट नवर 124 आंवली बजरंग विहार कोटा राज० 9001888513
2. नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री चंद्रमोहन आयु 30 वर्ष निवासी प्लाट नंबर 206 कृष्णा नगर कोटा रोड बारा जिला बारां 9509958092
3. विरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री चन्द्रमोहन आयु 28 वर्ष निवासी प्लॉट नंबर 206 कृष्णा नगर कोटा रोड बारां जिला बारां 6378155790

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.08.2024 न्यायालय उप–खन्ड अधिकारी बारां बमुकदमे प्रकरण चन्द्रमोहन वगेरा बनाम बृजेश कुमार वगैरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 4 व 5 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2003 प्रकरण संख्या /2024.

उपस्थिति :–1. श्री असलम भारती, अभिभाषक (अपीलांट्स)

निर्णय दिनांक 13.05.2025

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के प्रकरण संख्या /2024 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 4 व 5 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसे माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 28/8/2024 को पारित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील माननीय न्यायालय मे निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एंव साक्ष्य के विपरीत एंव विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कि प्रार्थी कम 1 के कब्जे एंव स्वामित्व का एक आवासीय मकान वाके कृष्णा नगर कोटा रोड बारां एंव बजरंग विहार कोटा मे अवस्थित पर रेस्पो० द्वारा जबरन कब्जा करने व प्रार्थीगण को नाजायज परेशान एंव शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसपर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे केवल अप्रार्थीगण को पाबंद करने हेतु आदेश पारित किया है और होने वाले मामले से संबंधित कोई भी आदेश पारित नही किया है। अतः आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्य का समुचित रूप से विवेचन नही किया है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स को स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर भी प्रदान नही किया है। केवल मात्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पूरी तरह प्रमाणित है कि प्रार्थी/अपीलान्ट कम 1 ने स्वअर्जित आय से प्लॉट खरीद कर बारां व कोटा में मकान निर्माण कराये है और जबरन रेस्पो० द्वारा कब्जा कर लिया है और प्रार्थीगण अपीलान्ट्स को बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.06.26 17:01:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कर दिया है। वर्तमान में अपीलाण्ट्स किराये के मकान में निवास कर रहे है। प्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स अपने स्वयं के मकानों को संरक्षित कर पाने के पूर्ण अधिकारी है इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए विवादित निर्णय पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण/अपी० वृद्ध एंव अशक्त तथा वृद्धावस्था की बीमारियो से पीडित है। प्रार्थीगण/अपी० किराये के मकान मे रहकर मानसिक परेशानियों से गुजर रहे है। जबकि रेस्पो० का यह सामाजिक एव विधिक दायित्व है कि वे प्रार्थीगण की इस वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा करे और समय पर भोजन उपचार आदि उपलब्ध करावे। इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 28/8/2024 निरस्त फरमाते हुए रेस्पो० से प्रार्थीगण का मकान खाली करवाकर खाली कब्जा अपीलान्ट्स को दिलाये जाने की कृपा करे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 के नोटिस बाद तामील लौटे रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को जर्ये WhatsApp नोटिस की तामील करवाई जाकर दूरभाष पर नियत तिथि से सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 भी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ इसलिये उसके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट क्रम 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा कर अपीलांट्स को बेघर कर रखा है तथा अपीलांट्स को अपने दो दो मकान होते हुए भी किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। अपीलांट्स वृद्ध एंव अशक्त तथा वृद्धावस्था की बीमारियो से पीडित है। जबकि रेस्पो० का यह सामाजिक एव विधिक दायित्व है कि वे प्रार्थीगण की इस वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा करे और समय पर भोजन उपचार आदि उपलब्ध करावे। परन्तु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट्स को निरन्तर परेशान किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट्स से अपीलांट्स का मकान खाली करवाकर कब्जा अपीलान्ट्स को दिलाये जाने के आदेश पारित फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट्स पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न स्वअर्जित सम्पति होने के दस्तावेज संलग्न होने के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट्स से अपीलांट्स की सम्पत्ति खाली करवाने के आदेश पारित नहीं कर त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या /2024 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 अपास्त किया जाकर जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बारां को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट्स का कृष्णा नगर बारां में अवस्थित मकान रेस्पोडेन्ट्स से खाली करवाकर कब्जा अपीलांट्स को संभलावें।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.06.26 17:01:14 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)